भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1575

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महाराष्ट्र में तीर्थयात्रा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

1575 डा. भागवत कराड़:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में पिछले वर्ष के दौरान श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, एलोरा में किए गए विकास कार्य सहित प्रसाद योजना की उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ख) सक्रिय वहन क्षमता आकलन और भीड़-प्रवाह प्रबंधन से तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को कैसे सशक्त किया गया है;

(ग) स्वच्छता, सुरक्षा, अंतिम मील कनेक्टिविटी और सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार और मंदिर अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;

(ङ) तीर्थयात्रा के व्यस्ततम मौसमों के दौरान देखे गए सकारात्मक परिणाम क्या हैं; और

(च) क्या इन पहलों ने रोजगार सृजित किया है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है और देश भर में भारत के आध्यात्मिक पर्यटन पारितंत्र को मजबूत किया है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के तहत तीर्थस्थल और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र रूप से विकास करके आध्यात्मिक और तीर्थयात्रा संबंधी अनुभव को बेहतर बनाना है। अभी तक, मंत्रालय ने प्रशाद योजना के तहत 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 1,726.74 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत की 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2017-18 में 45.41 करोड़ रुपये की लागत वाली "त्र्यंबकेश्वर का विकास", नासिक नामक एक परियोजना भी शामिल है।

प्रशाद योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों को पूरा करने एवं निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय के पास श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, एलोरा के विकास का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग): प्रशाद योजना के तहत वहन क्षमता और भीड़ के प्रवाह के मापदंड परियोजना नियोजन के अभिन्न अंग हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, तीर्थस्थलों का चयन तीर्थयात्रियों के आगमन के प्रबंधन हेतु गंतव्य की वहन क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुदृढ करने हेतु कतार प्रबंधन परिसर, प्रतीक्षालय, संपर्क सड़कों का चौड़ीकरण आदि जैसे विभिन्न सुविधाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, स्वच्छता, सुरक्षा, अंतिम-छोर तक संपर्कता और किसी भी स्थान से पहुंच को बढ़ाने के लिए, सीसीटीवी निगरानी प्रणालियों की स्थापना, एकीकृत कमांड और नियंत्रण कक्षों की स्थापना, अग्नि सुरक्षा तंत्र का प्रावधान, प्रदीप्तीकरण, संपर्क सड़कों का विकास, रेलिंग के साथ पाथवे, संकेतक, पेय जल एवं शौचालय ब्लॉक आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की तरह प्रमुख सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।

(घ): योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संबंधित प्रशासन, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों (तीर्थ प्राधिकरणों/धार्मिक ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठनों और सोसाइटियों आदि जो भी लागू हो) के साथ परामर्श से चिह्नित परियोजनाओं के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है। इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संबंधित हितधारकों से निकट समन्वय बनाकर किया जाता है।

(ङ) प्रशाद योजना के तहत सृजित की गई महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे कि पाथवे, प्रदीप्तीकरण, पेयजल, शौचालय और स्थलों पर पहुंच की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारियों को तीर्थयात्रियों के आवागमन का प्रबंधन एवं तीर्थयात्रा के व्यस्ततम मौसम के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती हैं।

(च) प्रशाद योजना के तहत मंत्रालय रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और देश भर में स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समग्र और स्थायी रूप से पर्यटन अवसंरचना के विकास का प्रयास करता है।

****